311

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय)
संख्या :– 17–तक0 को0–312/2018.....10933

प्रेषक,

जय सिंह, भा0प्र0से0
निदेशक,
भू–अभिलेख एवं परिमाप,
बिहार, पटना।

सेवा में,

समाहर्त्ता–सह–बंदोबस्त पदाधिकारी,
बेगूसराय, खगड़िया, लखीसराय, जहानाबाद, अरवल,
शिवहर, किशनगंज, अररिया, कटिहार, पूर्णियाँ,
सीतामढ़ी, सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, पं0 चंपारण,
बांका, जमुई, शेखपुरा, मुंगेर, एवं नालंदा।

पटना, दिनांक :–28-09-2020

विषय :– भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय स्तर से निर्गत कुछ महत्त्वपूर्ण पत्रों के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के स्तर से आपके जिलों के लिए प्राधिकृत वरीय नोडल पदाधिकारी तथा भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय के स्तर से प्राधिकृत नोडल पदाधिकारी द्वारा आपके जिलों के भ्रमण के दौरान सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी (मु0) सहित अन्य पदाधिकारियों द्वारा कतिपय बिन्दुओं पर पृच्छाएँ की जाती है और अन्य जानकारियों के संबंध में उल्लेखित किया जाता है। इस आलोक में भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय द्वारा निर्गत निम्न महत्त्वपूर्ण विषयों से संबंधित पत्र निम्न प्रकार है :–

क्र0	पत्रांक	दिनांक	विषय
1.	6976	16.04.2020	मुख्य शीर्ष– 2029– भू–राजस्व– उप मुख्य शीर्ष – 00 – लघु शीर्ष–102– सर्वेक्षण तथा बन्दोबस्त कार्य – उप शीर्ष – 0101– सर्वेक्षण और बन्दोबस्त कार्य का पुनरीक्षण के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020–21 में निधि का आवंटन (अकास्मिक मद और भाड़े की गाड़ी का भुगतान मद)– प्रति जिला क्रमशः 2,50,000.00/– रू0 और 3,00,000.00/– रू0।
2.	10508	20.08.2020	मुख्य शीर्ष–2029–भू–राजस्व–उप मुख्य शीर्ष–00–लघु शीर्ष – 102– सर्वेक्षण तथा बन्दोबस्त कार्य–उप शीर्ष–0101 – सर्वेक्षण और बन्दोबस्त कार्य का पुनरीक्षण के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020–21 में कुल– 2,90,35,500/– (दो करोड़ नब्बे लाख पैतीस हजार पाँच सौ रूपये मात्र) का आवंटन– प्रत्येक विशेष सर्वेक्षण सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी एवं कानूनगो को 650/– रूपये की दर से सामग्री तथा प्रत्येक विशेष सर्वेक्षण अमीन को 4560/– रूपये की दर से सामग्री हेतु। साथ ही प्रति शिविर उपस्कर हेतु 69,525.00/– रूपये।
3.	10692	02.09.2020	जिला बन्दोबस्त कार्यालयों में पदस्थापित सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी एवं प्रतिनियुक्त संविदा अमीन के कार्यों के संबंध में।
4.	10459	14.08.2020	होर्डिंग, बैनर और पोस्टर के जरिए बिहार विशेष सर्वेक्षण का व्यापक प्रचार–प्रसार करने के संबंध में।
5.	10889	22.09.2020	बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त नियमावली अंतर्गत सर्वेक्षण कार्य हेतु निर्धारित प्रपत्रों को Land Survey Management System Software (भू–सर्वेक्षण सॉफ्टवेयर) में संधारित करने के संबंध में।
6.	10888	22.09.2020	विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त प्रक्रिया अन्तर्गत जिन ग्रामों में पूर्व में कार्य किया गया है, वहाँ कार्य के प्रक्रम अनुसार अग्रेतर कार्य करने के संबंध में।

7.	10038	24.06.2020	विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त कार्य प्रारंभ करने के लिए प्रस्तावित अंचल, शिविर एवं पदस्थापित होने वाले विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी, कानूनगो एवं अमीन के संबंध में निदेशालय स्तर से तैयार किये गए योजना के संबंध में।
8.	408	28.02.2020	विशेष सर्वेक्षण के संदर्भ में विस्तृत कार्य–योजना एवं समेकित निदेश।
9.	1315	05.08.2019	सरकारी / लोक भूमि की सूची तैयार करने एवं विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी को विशेष सर्वेक्षण शिविर में उपलब्ध करने के संबंध में।
10.	828	30.05.2019	सर्वेक्षण संबंधित कागजातों को संरक्षित करने के संबंध में।
11.	477	20.03.2019	राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की अधिसूचना संख्या– 165 (8) / रा0, पटना–15 दिनांक– 15.03.2019 द्वारा तकनीकी मार्गदर्शिका अधिसूचित किए जाने के पश्चात् विशेष सर्वेक्षण अंतर्गत अब तक किए गए कार्यों की समीक्षा तकनीकी मार्गदर्शिका के आलोक में करने एवं उसके पश्चात् की सभी कार्रवाई भी मार्गदर्शिका के आलोक में ही करने के संबंध में।
12.	10233	09.07.2020	बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त कार्य के समीक्षा के संबंध में – बिहार विशेष सर्वेक्षण अधिनियम एवं नियमावली के अधीन पूर्व में निर्गत मार्गदर्शिका एवं पत्र आदि के आलोक में समीक्षा हेतु।
13.	9029 से 9033 तक	10.06.2020	क्रमशः अरवल, लखीसराय, किशनगंज, जहानाबाद एवं बेगूसराय जिले के विशेष सर्वेक्षण के लिए प्रस्तावित शिविरों एवं सम्बद्ध मौजों में सुधार आदि का प्रतिवेदन 14 दिनों के अंदर उपलब्ध कराने के संबंध में।
14.	9040 से 9046 तक	11.06.2020	क्रमशः मुंगेर, नालंदा, शेखपुरा, शिवहर, सीतामढ़ी, सुपौल एवं पश्चिम चम्पारण जिले के विशेष सर्वेक्षण के लिए प्रस्तावित शिविरों एवं सम्बद्ध मौजों में सुधार आदि का प्रतिवेदन 14 दिनों के अंदर उपलब्ध कराने के संबंध में।
15.	9092 से 9094 तक	18.06.2020	क्रमशः बांका, खगड़िया एवं जमुई जिले के विशेष सर्वेक्षण के लिए प्रस्तावित शिविरों एवं सम्बद्ध मौजों में सुधार आदि का प्रतिवेदन 14 दिनों के अंदर उपलब्ध कराने के संबंध में।
16.	10034 से 10036 तक	24.06.2020	क्रमशः कटिहार, अररिया एवं मधेपुरा जिले के विशेष सर्वेक्षण के लिए प्रस्तावित शिविरों एवं सम्बद्ध मौजों में सुधार आदि का प्रतिवेदन 14 दिनों के अंदर उपलब्ध कराने के संबंध में।
17.	10086 एवं 10087	30.06.2020	क्रमशः पूर्णियाँ एवं सहरसा जिले के विशेष सर्वेक्षण के लिए प्रस्तावित शिविरों एवं सम्बद्ध मौजों में सुधार आदि का प्रतिवेदन 14 दिनों के अंदर उपलब्ध कराने के संबंध में।

इसके अतिरिक्त वर्ष–2020 में निर्गत होने वाले सभी पत्रों को एवं पूर्व में निर्गत महत्त्वपूर्ण पत्रों को भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशलाय के वेबसाईट http://dlrs.bihar.gov.in पर अपलोड कर दिया गया है।

अनुरोध है कि उक्त पत्रों के संदर्भ में जिला बन्दोबस्त कार्यालय के स्तर से अपेक्षित कार्रवाई करवाने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन

28/9/20

(जय सिंह)
निदेशक,
भू–अभिलेख एवं परिमाप,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक :– 17–तक0 को0–312 / 2018........10933........**पटना, दिनांक** :– 28-09-2020

प्रतिलिपि:– राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के जिलों के लिए प्राधिकृत वरीय नोडल पदाधिकारी / निदेशालय स्तर से जिलों के लिए प्राधिकृत नोडल पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक,
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक :– 17–तक0 को0–312 / 2018........10933........**पटना, दिनांक** :– 28-09-2020

प्रतिलिपि:– सुश्री सुरभि सिंह, एम0आई0एस0 डाटा एनालिस्ट, आई0टी0 सेल को निदेशालय के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

निदेशक,
भू–अभिलेख एवं परिमाप
28/9/20